2016 का विधेयक संख्यांक 53

[दि इनेमी प्रोपर्टी (अमेंडमेंट एंड वेलीडेशन) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह 7 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

1968 का 34

2. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 2 में,—

(i) खंड (ख) में,—

(I) "शत्रु प्रजा" शब्दों के स्थान पर, "शत्रु प्रजा, जिसके अंतर्गत उसका वारिस या उत्तराधिकारी, चाहे भारत का नागरिक है या नहीं या किसी ऐसे देश का नागरिक, जो शत्रु नहीं है या शत्रु, शत्रु प्रजा या उसका वारिस और उत्तराधिकारी, जिसने अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तित कर ली है" शब्द रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे ;

(II) "शत्रु फर्म" शब्दों के स्थान पर, "शत्रु फर्म, जिसके अंतर्गत उसका

उत्तरवर्ती, चाहे ऐसी उत्तरवर्ती फर्म के भागीदार या सदस्य, भारत के नागरिक हों या नहीं या किसी ऐसे देश के नागरिक, जो शत्रु नहीं है या ऐसी फर्म, जिसने अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तित कर ली है" शब्द रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे ;

(III) "इसके अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं आता है" शब्दों के स्थान पर, 'इसके अंतर्गत भारत के उन नागरिकों से, जो "शत्रु" या "शत्रु प्रजा" या "शत्रु फर्म" के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी हैं, भिन्न भारत का नागरिक नहीं आता है' शब्द रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे ;

(IV) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और सदैव अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "इसके अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं आता है" पद के अंतर्गत भारत के उन नागरिकों को अपवर्जित किया जाएगा और सदैव अपवर्जित किया गया समझा जाएगा, जो ऐसे किसी "शत्रु" या किसी "शत्रु प्रजा" या किसी "शत्रु फर्म" के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी हैं या रहे हैं, जो मृत्यु, निर्वापन, कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रहे हैं या विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या ऐसे देश का नागरिक है, जो शत्रु नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2--इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात इस खंड में निर्दिष्ट विधिक वारिस और उत्तराधिकारी (जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों) के किसी ऐसे अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जो उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रदत्त किया गया है ।';

(ii) खंड (ग) के परंतुक में,--

(I) "ऐसे राज्यक्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है" शब्दों के पश्चात्, "या भारत के बाहर किसी भी राज्यक्षेत्र में मृत्यु हो जाती है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और सदैव अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(II) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और सदैव अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "शत्रु संपत्ति" इस बात के होते हुए भी कि शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म, मृत्यु, निर्वापन, कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रही है या विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या ऐसे देश का नागरिक है, जो शत्रु नहीं है, शत्रु संपत्ति बनी रहेगी और सदैव बनी रही समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "शत्रु संपत्ति" से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत, ऐसी संपत्ति में सभी अधिकार, हक और हित या उससे उद्भूत होने वाला कोई भी फायदा, होगा तथा सदैव उसका ऐसा अभिप्राय और उसके अंतर्गत होना समझा जाएगा ।' ।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'(3) अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति, इस बात के होते हुए भी कि शत्रु या शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म मृत्यु, निर्वापन, कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रही है या उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, जो शत्रु नहीं है, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति" में, इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित ऐसी संपत्ति में सभी अधिकार, हक और हित या उससे उद्भूत सभी फायदे सम्मिलित होंगे और सदैव सम्मिलित हुए समझे जाएंगे ।'।

नई धारा 5क का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अभिरक्षक द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाना ।

"5क. अभिरक्षक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि आदेश में वर्णित शत्रु या शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म की संपत्ति अधिनियम के अधीन उसमें निहित है और इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और ऐसा प्रमाणपत्र उसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगा ।"।

नई धारा 5ख का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम के प्रारंभ के तारीख से ही धारा 5क (जो इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा इस प्रकार अंतःस्थापित की गई है) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

शत्रु संपत्ति को उत्तराधिकार विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा का लागू न होना ।

'5ख. उत्तराधिकार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या संपत्ति के उत्तराधिकार को शासित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन शत्रु सम्पत्ति के संबंध में लागू नहीं होगी और किसी व्यक्ति का (जिसके अंतर्गत उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भी है) ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार (जिसके अंतर्गत सभी अधिकार, हक और हित या ऐसी संपत्ति से उद्भूत कोई फायदा भी है) नहीं होगा या कोई अधिकार होना नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रूढ़ि" और "प्रथा" पद किसी ऐसे नियम को संज्ञापित करते हैं, जिसने संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में, लंबे समय तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालन किए जाने के कारण, विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है ।'।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और सदैव रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

किसी शत्रु, शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म द्वारा अभिरक्षक में निहित किसी संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध ।

"6. (1) किसी शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म को, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित किसी संपत्ति के अंतरण का कोई भी अधिकार नहीं होगा और सदैव कोई भी अधिकार नहीं होना समझा जाएगा और ऐसी संपत्ति का कोई भी अंतरण शून्य होगा और सदैव शून्य हुआ समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई संपत्ति, इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक को शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से पूर्व किसी शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म द्वारा अंतरित की गई है और ऐसे अंतरण को केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है तथा संपत्ति [धारा 6, जो शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 की धारा 6 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले थी, के अधीन किए गए उक्त आदेश के कारण] अभिरक्षक में निहित हो गई थी या निहित हुई समझी गई थी, तो ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी या निहित बनी रही समझी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत कोई शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म भी है) अभिरक्षक में निहित या निहित समझी गई ऐसी संपत्ति पर

कोई भी अधिकार (जिसके अंतर्गत सभी अधिकार, हक और हित या ऐसी संपत्ति से उद्भूत कोई फायदा भी है) नहीं होगा या कोई भी अधिकार नहीं होना समझा जाएगा ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

(i) मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और सदैव रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित संपत्ति की बाबत अभिरक्षक ऐसे उपाय कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके व्ययन किए जाने तक वह ऐसी संपत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है ।" ;

(ii) उपधारा (2) में,--

(क) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iक) शत्रु संपत्ति के संबंध में, यथास्थिति, किराया, मानक किराया, पट्टा किराया, अनुज्ञप्ति फीस या उपयोक्ता प्रभार नियत और संगृहीत कर सकेगा ;";

(ख) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ivक) अप्राधिकृत या अविधिमान्य अधिभोगी या अतिचारी से बेदखल कराकर शत्रु संपत्ति का रिक्त कब्जा सुनिश्चित कर सकेगा और अप्राधिकृत या अविधिमान्य निर्माणों को, यदि कोई हों, हटा सकेगा ;" ।

नई धारा 8क का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अभिरक्षक द्वारा संपत्ति का विक्रय ।

"8क. (1) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व उसमें निहित संपत्तियों का, ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यथास्थिति, विक्रय द्वारा या अन्यथा व्ययन कर सकेगा ।

(2) अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन के प्रयोजन के लिए उसकी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने का ऐसे पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा ।

(3) अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन पर विक्रय आगमों को तुरंत भारत की संचित निधि में जमा करेगा और केंद्रीय सरकार को उसके ब्यौरों की संसूचना देगा ।

(4) अभिरक्षक, केंद्रीय सरकार को ऐसे अंतरालों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, उपधारा (1) के अधीन व्ययनित शत्रु संपत्तियों की रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें ऐसे ब्यौरे (जिसके अंतर्गत वह कीमत, जिस पर ऐसी संपत्ति का विक्रय किया गया है और उस क्रेता की विशिष्टियां, जिसको संपत्ति का विक्रय या व्ययन किया गया है तथा भारत की संचित निधि में जमा किए गए विक्रय या व्ययन के आगमों के ब्यौरे भी हैं) होंगे, जो वह विनिर्दिष्ट करे ।

(5) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन से संबंधित मामलों

पर अभिरक्षक को साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश अभिरक्षक तथा उपधारा (1) में निर्दिष्ट शत्रु संपत्तियों का क्रेता तथा ऐसे विक्रय या व्ययन से संबंधित अन्य व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगे ।

(6) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी ।

(7) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति का व्ययन अभिरक्षक के बजाय किसी अन्य प्राधिकरण या मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा और उस दशा में उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन के संबंध में, इस धारा के सभी उपबंध ऐसे प्राधिकरण या मंत्रालय या विभाग को लागू होंगे ।

(8) उपधारा (1) से उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार शत्रु संपत्ति का ऐसी रीति में निपटान या उपयोग कर सकेगी, जो वह उचित समझे ।"।

नई धारा 10क का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति ।

"10क. (1) जहां अभिरक्षक, उसमें निहित किसी शत्रु की कोई स्थावर संपत्ति किसी व्यक्ति को बेचने की प्रस्थापना करता है, वहां वह ऐसी संपत्ति के विक्रय आगमों की प्राप्ति पर उस व्यक्ति के पक्ष में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और विक्रय का ऐसा प्रमाणपत्र, इस तथ्य के होते हुए भी कि संपत्ति के मूल हक विलेख अंतरिती को सौंपे नहीं गए हैं, विधिमान्य और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति के स्वामित्व का निर्णायक सबूत होगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अभिरक्षक द्वारा जारी किया गया उपधारा (1) में निर्दिष्ट विक्रय प्रमाणपत्र अंतरिती के पक्ष में संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए विधिमान्य लिखत होगा और उस शत्रु संपत्ति के संबंध में, जिसके लिए अभिरक्षक द्वारा ऐसा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया था, ऐसी संपत्ति से संबंधित मूल हक विलेखों के अभाव के आधार पर या ऐसे किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रीकरण से, इंकार नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) अभिरक्षक, उप अभिरक्षक या सहायक अभिरक्षक को, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी मामले पर कार्रवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :--

1908 का 5

(क) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत भूमि, राजस्व और रजिस्ट्रीकरण मामलों से संबद्ध कोई अधिकारी, बैंक अधिकारी या किसी कंपनी का अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) बहियों, दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों को पेश करने के लिए बाध्य करना ; और

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।"।

धारा 17 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय मामलों में शत्रु संपत्ति के रूप में निहित संपत्ति का अंतरण ।

"18. अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में किसी संपत्ति को निहित करने वाले किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति से ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किए गए अभ्यावेदन की प्राप्ति पर और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अभिरक्षक में इस अधिनियम के अधीन निहित और उसमें निहित रही कोई भी संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं थी, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिरक्षक को यह निदेश दे सकेगी कि अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में निहित ऐसी संपत्ति को उस व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाए, जिससे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी और अभिरक्षक में निहित की गई थी ।"।

नई धारा 18क का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 18 (इस अधिनियम की धारा 12 द्वारा इस प्रकार प्रतिस्थापित) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

आय का वापस किए जाने के लिए दायी नहीं होना ।

"18क. अभिरक्षक द्वारा, शत्रु संपत्ति के संबंध में प्राप्त कोई आय, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, धारा 8क या धारा 18 के अधीन विक्रय के रूप में अंतरित की गई थी, ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को वापस नहीं की जाएगी या वापस किए जाने के लिए दायी नहीं होगी ।"।

नई धारा 18ख का अंतःस्थापन ।

14. मूल अधिनियम की, धारा 18क (इस अधिनियम की धारा 13 द्वारा इस प्रकार अंतःस्थापित) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अधिकारिता का वर्जन ।

"18ख. कोई सिविल न्यायालय या अन्य प्राधिकरण, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम की विषयवस्तु वाली किसी संपत्ति या इस बाबत केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक द्वारा की गई किसी कार्रवाई के संबंध में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण नहीं करेगा ।"।

धारा 20 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, मूल अधिनियम की धारा 22 में, "किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में" शब्दों के पश्चात्, "(जिसके अंतर्गत कोई भी उत्तराधिकार विधि या संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कोई भी रूढ़ि या प्रथा भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और सदैव अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

नई धारा 22क का अंतःस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 2 जुलाई, 2010 से अंतःस्थापित की जाएगी, और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

विधिमान्यकरण ।

"22क. किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्रभावी और सदैव प्रभावी हुआ समझा जाएगा, मानो उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जैसे वे शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थे, अभिरक्षक से किसी व्यक्ति को निर्निहित की गई कोई शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में सभी विल्लंगमों से मुक्त उसी रीति में अंतरित और निहित हो जाएगी या निहित बनी रहेगी जैसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शत्रु संपत्ति को इस प्रकार निर्निहित किए जाने से

पूर्व अभिरक्षक में इस प्रकार निहित थी, मानो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ;

(ग) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां, पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन, जैसी वह शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थी, अभिरक्षक से उसमें निहित शत्रु संपत्ति के निर्निहित किए जाने का निदेश देने वाले ऐसे न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा की गई किसी डिक्री या आदेश या निदेश के प्रवर्तन के लिए चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी और ऐसी शत्रु संपत्ति पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन अभिरक्षक में इस प्रकार निहित बनी रहेगी, मानो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त धारा सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ;

(घ) अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति के संबंध में, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के आदेशों के निष्पादन में कुर्की, अभिग्रहण या विक्रय के किसी आदेश के आधार पर अभिरक्षक में निहित किसी शत्रु संपत्ति का कोई अंतरण, जो शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है, अकृत और शून्य समझा जाएगा और ऐसे अंतरण के होते हुए भी ऐसी संपत्ति मूल अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी ।"।

धारा 23 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) का लोप किया जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

19. (1) यदि शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंदीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम या शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के असंगत नहीं हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

1971 का 40

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 को प्रतिस्थापित करने वाले शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

2016 का अध्यादेश सं0 1

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1971 के अधिनियम 40 की धारा 2 और धारा 3 का संशोधन ।

20. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में,--

(क) धारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

1968 का 34

"(4) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित शत्रु संपत्ति का कोई परिसर ;";

(ख) धारा 3 के खंड (क) में,--

(i) दूसरे परन्तुक में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन नियुक्त शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक, उप अभिरक्षक और सहायक अभिरक्षक को इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (4) में निर्दिष्ट उन शत्रु संपत्तियों के संबंध में, जो सरकारी स्थान हैं, जिनके लिए उन्हें शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन अभिरक्षक, उप अभिरक्षक और सहायक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।"। 1968 का 34

व्यावृत्ति ।

21. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 के प्रवर्तन में न रहने पर भी, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 द्वारा यथासंशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 या सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे । 2010 का अध्यादेश सं0 4; 1968 का 34; 1971 का 40; 2016 का अध्यादेश सं0 1

निरसन और व्यावृत्ति ।

22. (1) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2016 का अध्यादेश सं0 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1968 का 34

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968, 20 अगस्त, 1968 को अधिनियमित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रक्षा नियम, 1962 के अधीन भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति के निहित बनी रहने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध किया गया था ।

2. उसके पश्चात् विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्णय आए जिससे शत्रु संपत्ति नियम, 1968 के अधीन यथा उपबंधित अभिरक्षक और भारत सरकार की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । विभिन्न न्यायालयों द्वारा ऐसे निर्वचन के दृष्टिकोण से अभिरक्षक के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन अपनी कार्रवाइयों को जारी रखना कठिन हो गया है ।

3. पूर्वोक्त परिस्थितियों में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव सहित विधायी आशय को स्पष्ट किया गया है कि--

(क) "शत्रु" और "शत्रु प्रजा" की परिभाषा के अन्तर्गत किसी शत्रु के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी चाहे भारत का नागरिक हो या ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु नहीं है, होंगे तथा "शत्रु फर्म" की परिभाषा में उसके सदस्यों और भागीदारों की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना किसी शत्रु फर्म की उत्तरवर्ती फर्म भी होगी ;

(ख) शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी चाहे शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म मृत्यु, निर्वापन या कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रहे हों या कि विधिक वारिस या उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या किसी ऐसे देश का नागरिक है जो शत्रु नहीं है ;

(ग) शत्रु संपत्ति, संपत्ति में के सभी अधिकारों, हक और हित सहित अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी तथा अभिरक्षक उसे तब तक परिरक्षित करेगा जब तक अभिरक्षक, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसका व्ययन नहीं करता है ;

(घ) अभिरक्षक, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् यह घोषित कर सकेगा कि शत्रु या शुत्र प्रजा या शत्रु फर्म की संपत्ति पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उसमें निहित हैं और इस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जो उसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगा ;

(ङ) उत्तराधिकार विधि या उत्तराधिकार को शासित करने वाली कोई रूढि या प्रथा शत्रु संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होगी ;

(च) किसी शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म को अभिरक्षक में निहित किसी संपत्ति को अंतरित करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा और सदैव कोई भी अधिकार नहीं हुआ समझा जाएगा तथा ऐसी संपत्ति का कोई भी अन्तरण शून्य होगा ;

(छ) अभिरक्षक केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसमें निहित शत्रु संपत्तियों का व्ययन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार अभिरक्षक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो उस पर आबद्धकर होंगे ;

(झ) केन्द्रीय सरकार अभिरक्षक में निहित ऐसी संपत्ति का, जो शत्रु संपत्ति नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को अंतरण कर सकेगी जो अभिरक्षक द्वारा जारी निहित किए जाने वाले आदेशों से व्यथित हुआ है ;

4. अभिरक्षक के अधीन शत्रु संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की शीघ्र और प्रभावी बेदखली के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन नियुक्त किए गए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक, उप अभिरक्षक और सहायक अभिरक्षक को शत्रु संपत्तियों की बाबत "संपदा अधिकारी" घोषित किया जा सके ।

5. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अत्यावश्यक विधान अपेक्षित था इसलिए राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 2016 को शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 प्रख्यापित किया था ।

6. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
23 फरवरी, 2016

राजनाथ सिंह

उपाबंध

शत्रु-संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सदंर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) * * * *

(ख) "शत्रु" या "शत्रु प्रजा"या "शत्रु-फर्म" से ऐसा व्यक्ति या देश अभिप्रेत है जो भारत रक्षा अधिनियम, 1962 और भारत रक्षा नियम, 1962 या भारत रक्षा अधिनियम, 1971 और भारत रक्षा नियम, 1971 के अधीन, यथास्थिति, शत्रु, शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म था, किन्तु इसके अन्तर्गत भारत का नागरिक नहीं आता है ;

1962 का 51
1971 का 42

(ग) " शत्रु-सम्पत्ति" से ऐसी सम्पत्ति अभिप्रेत है जो तत्समय शत्रु, शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म की है या उसकी ओर से धारित या प्रबन्धित है ;

परंतु जहां कि किसी व्यष्टि शत्रु-प्रजा की ऐसे राज्यक्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, वहां कोई सम्पत्ति जो ऐसी मृत्यु के अव्यवहितपूर्व उसकी थी या उसके द्वारा धारित थी या उसकी ओर से प्रबन्धित थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शत्रु-सम्पत्ति मानी जाती रहेगी ;

* * * * *

अभिरक्षक में निहित सम्पत्ति का शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म द्वारा अन्तरण ।

6. जहां कि अभिरक्षक में इस अधिनियम के अधीन निहित सम्पत्ति किसी शत्रु या शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म द्वारा, चाहे अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, अन्तरित की गई हो, और जहां कि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा अन्तरण लोकहित के लिए क्षतिकर है या इस दृष्टि से किया गया था कि उस सम्पत्ति को अभिरक्षक में निहित होने से बचाया जाए या ऐसे निहित होने को विफल किया जाए, वहां केन्द्रीय सरकार, अन्तरिती को उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे अन्तरण को आदेश द्वारा शून्य घोषित कर सकेगी और ऐसे आदेश के किए जाने पर वह सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित बनी अथवा उसमें निहित समझी जाएगी ।

* * * * *

अपने में निहित शत्रु सम्पति के बारे में अभिरक्षक की शक्तियां ।

8. (1) अभिरक्षक में इस अधिनियम के अधीन निहित सम्पत्ति के बारे में अभिरक्षक ऐसे अध्युपाय कर सकेगा या उनका किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो वह उस सम्पत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, और जहां कि ऐसी सम्पत्ति व्यष्टि शत्रु प्रजा की हो वहां वह उस सम्पत्ति में से ऐसा व्यय उपगत कर सकेगा जिसे वह भारत में उस व्यष्टि के या उसके कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिरक्षक या ऐसा व्यक्ति, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जाए, उक्त प्रयोजन के लिए—

(i) शत्रु का कारबार चला सकेगा ;

* * * * *

(iv) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा, उसमें प्रतिवाद कर सकेगा या उसे चालू रख रख सकेगा, किसी विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित कर सकेगा तथा किन्हीं ऋणों, दावों या दायित्वों का समझौता कर सकेगा ।

* * * * *

फीस का उद्ग्रहण ।

17. (1) अभिरक्षक द्वारा ऐसी फीस उद्गृहित की जाएगी जो निम्नलिखित के दो प्रतिशत के बराबर होगी--

(क) उस संदत्त धनराशि की रकम ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित किसी सम्पत्ति के विक्रय या अन्तरण के आगम ; तथा

(ग) अवशिष्ट सम्पत्ति का, यदि कोई हो, मूल स्वामी को या केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्ति को अन्तरण के समय मूल्य :

परंतु ऐसे शत्रु की दशा में, जिसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध इस निमित्त विशेष तौर पर प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिरक्षक द्वारा अनुज्ञात हो, शत्रु की सकल आय के दो प्रतिशत के बराबर या ऐसी कम फीस उद्गृहीत की जाएगी जो सीधे प्रबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपगत व्यय को, वरिष्ठ पर्यवेक्षण के खर्च को तथा प्रबन्ध के बारे में उस सरकार द्वारा उठाई गई किसी जोखिम को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्टतः नियत करे :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन उद्ग्रहणीय फीसों को किसी विशेष मामले में या मामलों के वर्ग में, ऐसे कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, घटा सकेगा या उनका परिहार कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में "शत्रु की सकल आय" से इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित शत्रु की सम्पत्तियों से व्युत्पन्न आय अभिप्रेत है ।

* * * * *

अभिरक्षक में निहित शत्रु-सम्पत्ति का निर्निहत किया जाना ।

18. केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित और उसके पास बनी रहने वाली कोई शत्रु-सम्पत्ति उससे निर्निहित हो जाएगी और उसके स्वामी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वापस कर दी जाएगी और तदुपरि वह सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित नहीं रह जाएगी और ऐसे स्वामी या अन्य व्यक्ति में पुनः निहित हो जाएगी ।

* * * * *

शास्ति ।

20. (1) * * * *

(3) यदि कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिरक्षक द्वारा की गई अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ

रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्तर्विष्ट कोई विशिष्टि मिथ्या हो और जिसका मिथ्या होना वह जानता हो या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास न हो, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

22. किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट तत्संगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे । इस अधिनियम से असंगत विधियों का प्रभाव ।

* * * * *

23. (1) * * * * नियम बनाने के शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

* * * * *

(घ) वह रीति जिससे कि अभिरक्षक में निहित शत्रु-सम्पत्ति धारा 18 के अधीन वापस की जा सकेगी ;

* * * * *

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * *

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं ।

* * * * *

3. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा— संपदा अधिकारियों की नियुक्ति ।

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार के या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के राजपत्रित अधिकारी हों अथवा [कानूनी प्राधिकारी] के तत्समान रैंक के अधिकारी हो, जिन्हें वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपता अधिकारी नियुक्त कर सकेगी :

परंतु राज्य सभी के सचिवालय के किसी अधिकारी की इस प्रकार नियुक्ति, राज्य सभा के सभापति से परामर्श किए बिना नहीं की जाएगी तथा लोक सभा के सचिवालय के किसी अधिकारी की इस प्रकार नियुक्ति, लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श किए बिना नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि कानूनी प्रधिकारी के किसी अधिकारी को ही उस प्रधिकरण द्वारा नियंत्रित सरकारी स्थान कि बाबत संपदा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा; और

* * * * *

GMGIPMRND—4679LS(CRC)—01-03-2016.